

No.11024/07/2017-PMA भारत सरकार/Government of India गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs पुलिस-I डिविजन/Police-I Division

> North Block, Room No.14 New Delhi, dated theo & August, 2018

To

The Home Secretaries of all the States/UTs
DsGP of all the States/UTs
Directors- IB/CBI/SVPNPA/SPG/NEPA/NICFS/CFSL/DCPW
DsG - BSF/CRPF/ITBP/CISF/NSG/RPF/BPR&D/SSB/NCB/NDRF/
Assam Rifles (Through LOAR) & NIA.

Sub: Forwarding of Gazette Notifications of new Medals (Union Home Minister's Special Operation Medal, Police Antrik Suraksha Seva Padak for J&K State/LWE/NE Region, Asadharan Aasuchana Kushalata Padak and Utkrisht Seva Padak & Ati Utkrisht Seva Padak).

Sir,

The undersigned is directed to inform that Ministry of Home Affairs has recently instituted following new medals applicable to police official of State/UT, CAPFs, CPOs and Central Intelligence agencies:-

(a)	Union Home Minister's Special Operation Medal			
(b)	Police Antrik Suraksha Seva Padak for J&K State/LWE/NE Region			
(c)	Asadharan Aasuchana Kushalata Padak			
(d)	Utkrisht Seva Padak & Ati Utkrisht Seva Padak			

- 2. The copies of Gazette Notification alongwith SOPs of above new Medals is forwarded herewith for your further necessary action.
- 3. The cost of these Medals will be borne by Ministry of Home Affairs.

Encl: As above.

Yours faithfully,

10/10/


(Raman Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India

Tele Fax: 23094009

Copy to:-

1. SO, IT, MHA, North Block, New Delhi; for uploading in MHA's website under Police-I Division, Medal and Award column.

2. General Manager, India Govt Mint, Alipore, Kolkata700053: for info. Please.





The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] No. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28—अगस्त 3, 2018 (श्रावण 6, 1940)

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28-AUGUST 3, 2018 (SHRAVANA 6, 1940)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके) (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सची

पृष्ट सं. भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... 507 भाग ।—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियक्तियों. पदोन्नितयों, छुड़ियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 503 भाग ।—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसृचनाएं. 13 भाग ।--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 1655 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय

प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक

नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और

उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय

प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को

भाग ।।—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों

पुष्ट सं. छोडकर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं...... भाग ।।।—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं...... 1917 भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1643 भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए। 161 G1/2018

CONTENTS

	Page		Page
	No.		No.
PART I—Section 1—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the		by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	計
Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court		Part II—Section 3—Sub-Section (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by	
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	503	Central Authorities (other than	
PART 1—Section 3—Notifications relating to Resolutions		Administration of Union Territories)	*
and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence		PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	44
PART I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1655	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the	
PART II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi		Government of India	4127
language, of Acts, Ordinances and Regulations		PART III—Section 2—Notifications and Notices issued	05.00=0
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select	4	by the Patent Office, relating to Patents and Designs	:[:
Committee on Bills		PART III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the		PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	
Administration of Union Territories)		PART IV—Advertisements and Notices issued by Private	
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory		Individuals and Private Bodies	
Orders and Notifications issued by the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and	
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		Deaths etc. both in English and Hindi	*

^{*}Folios not received.

भाग I—खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2018

सं. 11024/02/2018-पीएमए.—केंद्रीय गृह मंत्री संपूर्ण भारत संघ के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, होमगार्ड्स तथा किसी अन्य सशस्त्र पुलिस बल के स्थाई पुलिस कार्मिकों तथा अन्य स्थाई सहायक स्टाफ को 15/25 वर्ष लंबी सेवा अवधि के आधार पर लंबी सेवा के सम्मानस्वरूप प्रदान किए जाने वाले "उत्कृष्ट सेवा पदक" तथा "अति उत्कृष्ट सेवा पदक" प्रारंभ करने तथा इन्हें अभिशासित करने वाली निम्निखित संविधियों को बनाने, विधान करने तथा स्थापित करने की घोषणा करते हैं जो अधिसूचना की उनकी तारीख से प्रभावी मानी जाएंगी।

उत्कृष्ट सेवा पदक

प्रथमतया:-पुरस्कार पदक के रूप में होगा तथा उसे "उत्कृष्ट सेवा पदक" (जिसे इसमें इसके पश्चात पदक कहा गया है) का नाम दिया जाएगा।

द्वितीय:- पदक गोल आकार का होगा और कपरो-निकल से बना होगा, जिसका रंग सिल्वर होगा तथा व्यास 1 3/8 इंच होगा। इसके अग्र भाग पर बीचों-बीच "भारत के मानचित्र की रूपरेखा" का डिजाइन उत्कीर्ण होगा। इसके ऊपरी किनारे पर हिंदी में "उत्कृष्ट सेवा पदक" तथा निचले किनारे पर "UTKRISHT SEVA PADAK" शब्द अंग्रेजी में उत्कीर्ण होंगे। पदक के पृष्ठ भाग पर बीचों-बीच राज्य संप्रतीक बना होगा तथा इसके नीचे "सत्यमेव जयते" हिंदी में लिखा होगा। "सत्यमेव जयते" के नीचे "भारत सरकार" हिंदी में तथा उसके बाद "Government of India" अंग्रेजी में लिखा होगा।

तृतीय:- पदक केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने लगातार 15 वर्षों तक भारत के क्षेत्र के भीतर पुलिस बलों के सदस्यों के रूप में पूर्ण निष्ठा, कौशल एवं साहस से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

चतुर्थ:- जिन व्यक्तियों को यह पदक प्रदान किया जाएगा, उनके नाम की प्रविष्टि ऐसे नामों वाले एक रजिस्टर में की जाएगी जिसका संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों द्वारा रख रखाव किया जाएगा।

पंचम:- प्रत्येक पदक सीने की बाई ओर लटकाया जाएगा और "उत्कृष्ट सेवा पदक" के मामले में 1 3/8 इंच चौड़ा मानक आकार का रिवन आधा नीला तथा आधा लाल होगा।

षष्ठम:- केंद्रीय गृह मंत्री किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए उपयुक्त पदक को निरस्त करने अथवा रद्द करने के लिए सक्षम होंगे और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तथापि, केन्द्रीय गृह मंत्री को इस प्रकार जब्त किए गए पदक को पुन: बहाल करने का अधिकार होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, जिसे यह पदक प्रदान किया गया है, को इसे प्राप्त करने से पूर्व एक अनुबंध करना होगा कि यदि उसका नाम उपर्युक्त ढंग से हटा दिया जाता है तो वह पदक लौटा देगा। प्रत्येक मामले में पदक को रद्द किए जाने अथवा उसे बहाल किए जाने की सूचना रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।

सप्तम: इन संविधियों के उद्देश्य को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को होगा।

अति उत्कृष्ट सेवा पदक

प्रथमतया:- पुरस्कार पदक के रूप में होगा तथा उसे "अति उत्कृष्ट सेवा पदक" (जिसे इसमें इसके पश्चात पदक कहा गया है) का नाम दिया जाएगा।

द्वितीय:- पदक गोल आकार का होगा और कपरो-निकल से बना होगा, जिसका रंग गोल्डन होगा तथा व्यास 1 3/8 इंच होगा। इसके अग्र भाग पर बीचों-बीच "भारत के मानचित्र की रूपरेखा का डिजाइन उत्कीर्ण होगा। इसके ऊपरी किनारे पर हिंदी में "अति उत्कृष्ट सेवा पदक" तथा निचले किनारे पर "ATI UTKRISHT SEVA PADAK" शब्द अंग्रेजी में उत्कीर्ण होंगे। पदक के पृष्ठ भाग पर बीचों-बीच राज्य संप्रतीक बना होगा तथा इसके नीचे "सत्यमेवजयते" हिंदी में लिखा होगा। "सत्यमेवजयते" के नीचे "भारत सरकार" हिंदी में तथा उसके बाद "Government of India" अंग्रेजी में लिखा होगा।

तृतीय:- पदक केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने लगातार 25 वर्षों तक भारत के क्षेत्र के भीतर पुलिस बलों के सदस्यों के रूप में पूर्ण निष्ठा, कौशल एवं साहस से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

चतुर्थ:- जिन व्यक्तियों को यह पदक प्रदान किया जाएगा, उनके नाम की प्रविष्टि ऐसे नामों वाले एक रजिस्टर में की जाएगी जिसका रखरखाव संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों द्वारा किया जाएगा।

पंचम:- प्रत्येक पदक सीने की बाई ओर लटकाया जाएगा और "अति उत्कृष्ट सेवा पदक" के मामले में 1 3/8 इंच चौड़ा रिबन होगा जिसका एक तिहाई हिस्सा नीला, एक तिहाई पीला तथा एक तिहाई हिस्सा लाल रंग का होगा।

पष्ठम:- केंद्रीयगृह मंत्री किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए उपर्युक्त पदक को निरस्त करने अथवा रद्द करने के लिए सक्षम होंगे और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तथापि, केन्द्रीय गृह मंत्री को इस प्रकार जब्त किए गए पदक को पुन: बहाल करने का अधिकार होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, जिसे यह पदक प्रदान किया गया है, को इसे प्राप्त करने से पूर्व एक अनुबंध करना होगा कि यदि उसका नाम उपर्युक्त ढंग से हटा दिया जाता है तो वह पदक लौटा देगा। प्रत्येक मामले में पदक को रद्द किए जाने अथवा उसे बहाल किए जाने की सूचना रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।

सप्तम: इन संविधियों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को होगा।

पी.के. श्रीवास्तव

अपर सचिव

सं. 11024/02/2018-पीएमए.—उत्कृष्ट सेवा पदक तथा अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान करने से संबंधित संविधियों की 'सप्तम' संविधि के अनुसार पदक प्रदान करने का अधिशासन करने वाले निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं जो अपनी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे।

उत्कृष्ट सेवा पदक

- 1. सतत सेवा के आधार पर पदक प्रदान करने संबंधी संस्तुतियां सतत सेवा के 15 वर्ष पूरे होने के बाद यथा शीघ्र की जाएंगी।
- 2. सभी संस्तुतियों में संस्तुत व्यक्ति के नाम और पदनाम, पुलिस बल, अथवा केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा/आसूचना संगठनों की यूनिट का, जिनका वह सदस्य है अथवा था, के नाम और सेवा विवरणों, जिसके लिए पदक प्रदान की करने की संस्तुति की गई है, का उल्लेख होगा।

- 3. 'उत्कृष्ट सेवा पदक' के अंतर्गत प्रदान किए गए पदकों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ सीपीओ/सीएपीएफ/एआर/एनएसजी तथा केंद्र सरकार के आसूचना संगठन के पुलिस बल की स्वीकृत संख्या के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 4. पदक निम्नलिखित के लिए प्रदान किया जाएगा:
 - (i) 15 वर्ष की सतत सेवा; और
 - (ii) पुलिस सेवा अथवा केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठन/आसूचना संगठन की यूनिटों में विशेष विशिष्ट रिकार्ड।
- 5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों के प्रमुखों अर्थात् पुलिस महानिदेशकों और प्रमुखों अर्थात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशकों/निदेशकों/आसूचना एजेंसियों के निदेशक को अपने पात्र पुलिस कार्मिकों को 'उत्कृष्ट सेवा पदक' प्रदान करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं।
- 6. पदक उस स्थिति में जब्त कर लिया जाएगा जब सरकार की राय में इसका धारक द्रोह अथवा ऐसे आचरण का दोषी हो जिससे बल को अप्रतिष्ठा मिली हो।
- 7. पदक की घोषणा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/सीएपीएफ/सुरक्षा संगठन द्वारा इस उद्देश्य के लिए यथानिर्धारित किसी उचित तिथि को की जाएगी।
- मंत्रालय इन नियमों को लागू करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करेगा।
- 9. पदक प्रदान करने के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद या शिकायत की स्थिति में केन्द्रीय गृह मंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
- 10. पदक का कोटा और पदक प्रदान करने की चयन प्रक्रिया इन नियमों के तहत निर्मित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अंतर्गत निर्धारित की जा सकेगी।

अति उत्कृष्ट सेवा पदक

- 1. सतत सेवा के आधार पर पदक प्रदान करने संबंधी संस्तुतियां सतत सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के बाद यथासंभव शीघ्र की जाएंगी।
- 2. सभी संस्तुतियों में संस्तुत व्यक्ति के नाम और पदनाम, पुलिस बल अथवा केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा/संगठनों की यूनिट के नाम जिनका वह सदस्य है अथवा था और सेवा विवरणों, जिनके लिए पदक प्रदान की करने की संस्तुति की गई है, का उल्लेख होगा।
- 3. 'अति उत्कृष्ट सेवा पदक' के अंतर्गत प्रदान किए गए पदकों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/सीपीओ/सीएपीएफ/ एआर/एनएसजी तथा केंद्र सरकार के आसूचना संगठन के पुलिस बल की स्वीकृत संख्या के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 4. पदक निम्नलिखित के लिए प्रदान किया जाएगा:-
 - (i) 25 वर्ष की सतत सेवा
 - (ii) पुलिस सेवा अथवा केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठन/आसूचना संगठन की यूनिटों में विशेष विशिष्ट रिकार्ड।
- 5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों के प्रमुखों अर्थात् पुलिस महानिदेशकों और प्रमुखों अर्थात् केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशकों/निदेशकों/आसूचना एजेंसियों के निदेशक को अपने पात्र पुलिस कार्मिकों को 'अति उत्कृष्ट सेवा पदक' प्रदान करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं।
- 6. पदक उस स्थिति में जब्त कर लिया जाएगा जब सरकार की राय में इसका धारक द्रोह अथवा ऐसे आचरण का दोषी हो जिससे बल को अप्रतिष्ठा मिली हो।

- 7. पदक की घोषणा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ सीएपीएफ/ सुरक्षा संगठन द्वारा इस उद्देश्य के लिए यथा निर्धारित किसी उचित तिथि को की जाएगी।
- मंत्रालय इन नियमों को लागू करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करेगा।
- 9. पदक प्रदान करने के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद या शिकायत की स्थिति में केन्द्रीय गृह मंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
- 10. पदक का कोटा और पदक प्रदान करने के लिए चयन की प्रक्रिया इन नियमों के तहत निर्मित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अंतर्गत निर्धारित की जा सकेगी।

पी.के. श्रीवास्तव अपर सचिव

फा. सं. 23011/03/2018-पीएमए.—केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों(सीएपीएफ)/केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बलों और सुरक्षा संगठनों के सदस्यों के लिए जम्मू एवं कश्मीर (जे एंड के)/वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो वर्ष की सतत सेवा में उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा के लिए "पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक- जम्मू एवं कश्मीर राज्य/एल डब्ल्यू ई क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र" नामक पदक प्रारंभ करते हैं और इन पदकों को शासित करने वाली निम्नलिखित संविधियों का सृजन, विधान और स्थापना करते हैं जो अधिसूचना में उनकी तारीख से प्रभावी मानी जाएंगी।

पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक-जम्मू एवं कश्मीर राज्य/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र

प्रथमतया: यह पुरस्कार पदक के रूप में होगा तथा इसे "पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक-जम्मू एवं कश्मीर राज्य/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र" का नाम दिया जाएगा (जिसे इसमें इसके पश्चात पदक कहा गया है)।

द्वितीय:- यह पदक गोल आकार का होगा और कप्रो-निकल से बना होगा, जिसका रंग सुनहरा होगा तथा व्यास 1 3/8 इंच होगा। इसके अग्र भाग पर बीचों-बीच "भारत के मानचित्र की रूपरेखा" का डिजाइन उभरा होगा और बाई तरफ " पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक" हिंदी में उत्कीर्ण होगा और इसकी दाई तरफ "POLICE ANTRIK SURAKSHA SEVA PADAK" शब्द अंग्रेजी में उत्कीर्ण होगा। पदक के निचले भाग पर यथास्थिति जम्मू एवं कश्मीर राज्य/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्कीर्ण होगा। पदक के पृष्ठ भाग पर बीचों-बीच राज्य संप्रतीक बना होगा तथा इसके नीचे "सत्यमेव जयते" हिंदी में लिखा होगा। "सत्यमेव जयते" के नीचे "भारत सरकार" हिंदी में तथा उसके बाद"Government of India" अंग्रेजी में लिखा होगा। हाशिए पर उस व्यक्ति का नाम अंकित होगा जिसे पदक प्रदान किया गया है।

तृतीय:- पदक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मान्यता प्राप्त पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल/केंद्रीय पुलिस संगठनों या संघ के किसी अन्य सशस्त्र पुलिस बल के उन सदस्यों को दिया जाएगा जिन्होंने भारत सरकार द्वारा पदक प्रदान किए जाने के लिए निर्धारित स्थितियों और निर्धारित अविधे के लिए सेवा प्रदान की हो/प्रदान करते हैं।

चतुर्थ:- ऐसे व्यक्तियों के नाम जिन्हें पदक प्रदान किया जाना है एक रजिस्टर में लिखे जाएंगे और ऐसे नामों संबंधी रजिस्टर गृह मंत्रालय में मंत्रालय द्वारा निर्देशित प्राधिकारी के पास रहेगा।

पंचम:- प्रत्येक पदक सीने पर बाईं ओर लटकाया जाएगा और "पुलिस आतंरिक सुरक्षा सेवा पदक-जम्मू एवं कश्मीर राज्य/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र" के मामले में 1 3/8 इंच चौड़ा रिवन निम्नलिखित रंग और आकार का होगा:

(क) जम्मू एवं कश्मीर राज्य- बाईं ओर 8 मिमी की नीली पट्टी, उसके बाद 5.45 मिमी की सफेद पट्टी, उसके बाद 8 मिमी की लाल पट्टी और उसके बाद 5.45 मिमी की सफेद पट्टी और उसके बाद 8 मिमी की नीली पट्टी रिवन के दाहिने किनारे पर होगी।

- (ख) वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र:- बाईं ओर 8 मिमी की नीली पट्टी, उसके बाद 5.45 मिमी की हरी पट्टी, उसके बाद 8 मिमी की लाल पट्टी उसके बाद 5.45 मिमी की हरी पट्टी, उसके बाद 8 मिमी की नीली पट्टी रिबन के दाएं किनारे पर होगी।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र:- बाईं ओर 8 मिमी की नीली पट्टी, उसके बाद 5.45 मिमी की केसरिया पट्टी, उसके बाद 8 मिमी की लाल पट्टी उसके बाद 5.45 मिमी की केसरिया पट्टी और उसके बाद रिबन की दाईं ओर 8 मिमी की नीली पट्टी होगी।

पष्ठम:- केंद्रीय गृह मंत्री किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए उपर्युक्त पदक को निरस्त करने अथवा रद्द करने के लिए सक्षम होंगे और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तथापि, केन्द्रीय गृह मंत्री को इस प्रकार जब्त किए गए पदक को पुन: बहाल करने का अधिकार होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, जिसे यह पदक प्रदान किया गया है, को इसे प्राप्त करने से पूर्व एक अनुबंध करना होगा कि यदि उसका नाम उपर्युक्त ढंग से हटा दिया जाता है तो वह पदक लौटा देगा। प्रत्येक मामले में पदक को रद्द किए जाने अथवा उसे बहाल किए जाने की सूचना रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।

सप्तम: इन संविधियों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार गृह मंत्री को होगा।

पी.के. श्रीवास्तव अपर सचिव

फा. सं. 23011/03/2018-पीएमए.—जम्मू एवं कश्मीर राज्य/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए "पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक" प्रदान करने से संबंधित 'सप्तम' संविधि के अनुसार इस पदक को शासित करने वाले निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं।

- 1. सतत सेवा के आधार पर पदक प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित संस्तुतियां जम्मू एवं कश्मीर राज्य/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र/ पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रदत्त सेवाकाल(न्यूनतम 2 वर्ष) की सतत सेवा पूरी होने के बाद यथाशीघ्र की जाएंगी।
- 2. सभी संस्तुतियों में संस्तुत व्यक्ति के नाम और पदनाम, पुलिस बल, अथवा केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा/संगठनों की यूनिट का, जिनका वह सदस्य है अथवा था और सेवा विवरण, जिनके लिए पदक प्रदान की करने की संस्तुति की गई है का उल्लेख होगा।
- 3. जम्मू एवं कश्मीर राज्य/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाने वाले पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक की संख्या की किसी एक वर्ष में कोई सीमा नहीं होगी
- 4. यह पदक सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित जम्मू एवं कश्मीर राज्य/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र/ पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 वर्ष की सतत सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र वह होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। उस क्षेत्र में उत्तरवर्ती 2 वर्ष की सतत सेवा के लिए पदक में एक बार (bar) जोड़ दिया जाएगा।
- 5. पदक की घोषणा राज्य/संघराज्य क्षेत्र/सीएपीएफ/सुरक्षा संगठन द्वारा इस उद्देश्य के लिए यथा निर्धारित किसी भी उचित तिथि पर की जाएगी।
- 6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों के प्रमुखों अर्थात् पुलिस महानिदेशकों और प्रमुखों अर्थात् केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक को ऐसे पदक प्रदान करने की शक्ति दी जाएगी।
- 7. पदक उस स्थिति में जब्त कर लिया जाएगा जब केंद्रीय गृह मंत्री की राय में इसका धारक द्रोह अथवा ऐसे आचरण का दोषी हो जिससे बल की प्रतिष्ठा खराब हुई है।
- उपर्युक्त पदक के लिए चयन प्रक्रिया का मानक प्रचालन प्रक्रिया में किए गए उल्लेख के अनुसार पालन किया जाएगा।

9. मंत्रालय इन नियमों को लागू करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर सकता है।

पी.के. श्रीवास्तव अपर सचिव

सं. 11024/04/2018-पीएमए.—केन्द्रीय गृह मंत्री केन्द्रीय सरकार के आसूचना संगठनों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, असम राइफल्स के आसूचना विंग/शाखा/विशेष शाखा के सदस्यों को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, अदम्य एवं साहसिक आसूचना सेवा के सम्मानस्वरूप प्रदान किए जाने वाले "असाधारण आसूचना कुशलता पदक" प्रारंभ करने, उनका विधान करने एवं उन्हें शासित करने वाली निम्नलिखित संविधियों की स्थापना करने की घोषणा करते हैं जो अधिसूचना की उनकी तारीख से प्रभावी मानी जाएंगी:

असाधारण आसूचना कुशलता पदक

प्रथमतया:- पुरस्कार पदक के रूप में होगा तथा उन्हें "असाधारण आसूचना कुशलता पदक" (जिसे इसमें इसके पश्चात पदक कहा गया है) का नाम दिया जाएगा।

द्वितीय:- पदक गोल आकार का होगा और सिल्वर गोल्ड गिल्ट से बना होगा जिसका व्यास 1 3/8 इंच होगा तथा इसके अग्र भाग पर बीचों-बीच "कौटिल्य" उत्कीर्ण होगा जिसके नीचे "आसूचना लभते सुरक्षा" तथा ऊपरी सिरे पर "आसूचना सेवा" एवं निचले किनारे पर "Aasuchana Sewa" उत्कीर्ण होंगे। हिन्दी तथा अंग्रेजी शब्दों को दोनों ओर बने एक छोटे सितारे की आकृति पृथक करेगी। पदक के पृष्ठ भाग पर केन्द्र में राज्य संप्रतीक तथा "असाधारण आसूचना कुशलता पदक" और ऊपरी तथा निचले सिरे पर क्रमश: "Asadharan Aasuchana Kushalata Padak" लिखा होगा। राज्य संप्रतीक के नीचे "सत्यमेव जयते" (हिन्दी में) लिखा होगा। राज्य संप्रतीक तथा इसके चारों आरे लिखे गए शब्दों के चारों ओर फूलों की माला का छल्ला बना होगा। हाशिए पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा जिसे यह पदक प्रदान किया गया है।

तृतीय: यह पदक केवल केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित आसूचना संगठनों के सदस्यों अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस की आसूचना शाखा/विशेष शाखाओं तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वलों, असम राइफल्स, एनएसजी के आसूचना विंगों के ऐसे सदस्यों को प्रदान किया जाएगा जो आतंकवाद/उग्रवाद/विद्रोह इत्यादि का मुकाबला करने के लिए आसूचना एकत्रित करने का कार्य करने में लगे हुए है तथा जिन्होंने आसूचना संग्रहण में ऐसे असाधारण साहिसक एवं कुशलतापूर्ण कृत्यों को अंजाम दिया है जिनकी वजह से जासूसी/विद्रोह/आतंकवाद/उग्रवाद/संगठित अपराधों के माड्यूलों का रहस्योद्घाटन करने में अथवा ऐसे संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार करने/पकड़ने/निष्प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

चतुर्थ: पदक प्राप्तकर्ताओं के नाम कार्य की सुरक्षा तथा व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखने के कारण भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसे नामों से संबंधित रजिस्टर रखा जा सकता है।

पंचम: प्रत्येक पदक सीने पर बाईं तरफ लटकाया जाएगा और 1 3/8 इंच चौड़ाई का रिबन आधा नीला तथा आधा चमकीले श्वेत वर्ण वाला होगा और इन दोनों रंगों को 1/8 इंच चौड़ी खड़ी लाल रंग की रेखा पृथक करेगी।

षष्ठम: आसूचना संबंधी कोई ऐसा कृत्य जिसके सम्मानस्वरूप "असाधारण आसूचना कुशलता पदक" का सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए किंतु, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे पहले ही पदक प्रदान किया जा चुका है, तो उसे उस रिवन जिससे पदक लटकाया गया है, पर एक बार (Bar) लगाकर दर्ज किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त कृत्य के लिए एक अतिरिक्त बार (Bar) जोड़ा जाएगा और प्रदान किए गए प्रत्येक बार (Bar) के लिए गोल्ड गिल्ट के साथ छोटा सिल्वर गुलाव रिवन से तब जोड़ा जाएगा जब अकेले पहना जाए।

सप्तम: केन्द्रीय गृह मंत्री किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए उपर्युक्त पदक को निरस्त करने अथवा रद्द करने के लिए सक्षम होंगे और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तथापि, केन्द्रीय गृह मंत्री को इस प्रकार जब्त किए गए पदक को पुन: बहाल करने का अधिकार होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, जिसे यह पदक प्रदान किया गया है को इसे प्राप्त करने से पूर्व एक अनुबंध करना होगा कि यदि उसका नाम उपर्युक्त ढंग से हटा दिया जाता है तो वह पदक लौटा देगा। पदक को रद्द किए जाने अथवा उसे बहाल किए जाने की सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए। तथापि, इस आशय की प्रविष्टियां रजिस्टर में की जानी चाहिए।

अष्ठम: इन संविधियों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को होगा।

पी.के. श्रीवास्तव अपर सचिव

सं.11024/04/2018पीएमए.—"असाधारण आसूचना कुशलता पदक" प्रदान करने से संबंधित संविधियों की 'अष्ठम' संविधि के अनुसार उनका अधिशासन करने वाले निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं जो अपनी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे:

- 1. आतंकवाद/उग्रवाद/विद्रोह, आदि की रोकथाम करने के लिए आसूचना सेवा में दिखाए गए ऐसे असाधारण साहस और कौशल संबंधी कृत्यों के आधार पर, जिनसेया तो जासूसी/ आतंकवाद/उग्रवाद/संगठित अपराधों के मॉड्यूल्स का पता लगाने में या तो महत्वपूर्ण सफलता मिली हो अथवा ऐसे संगठनों के सदस्यों गिरफ्तार किया गया है/उन्हें पकड़ा गया हो, उस अवसर के बाद जब असाधारण साहस और कौशल दिखाया गया हो यथासंभव शीघ्र पदक प्रदान करने के लिए संस्तुतियां की जाएंगी।
- 2. सभी संस्तुतियों में संस्तुत व्यक्ति के नाम और पदनाम, केंद्रीय सरकार के उस आसूचना संगठन तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस, सीपीओ, सीएपीएफ, एआर तथा एनएसजी की आसूचना विंग/शाखा/विशेष शाखा जिसका वह सदस्य है अथवा था, के नाम एवं उस आसूचना सेवा के विवरणों का उल्लेख होगा जिनके लिए पदक प्रदान करने की संस्तुति की गई है।
 - 3. पदक निम्नलिखित के लिए प्रदान किया जाएगा:-
- (i) आतंकवाद/उग्रवाद/विद्रोह, आदि की रोकथाम करने के लिए ऐसी आसूचना एकत्र करने में दिखाए गए ऐसे असाधारण साहस और कौशल संबंधी कृत्य जिनसे जासूसी/ आतंकवाद/उग्रवाद/संगठित अपराधों के मॉड्यूल्स का पता लगाने में अथवा ऐसे संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार करने/पकड़ने में अत्यधिक सफलता मिली हो।
- (ii) केंद्र सरकार के संगठनों तथा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस, सीपीओ, सीएपीएफ, एआर, एनएसजी के आसूचना विभाग/विंग/शाखा/विशेष शाखा में आसूचना सेवा का विशेष विशिष्ट रिकॉर्ड।
 - (iii) गंभीर और व्यापक रूप से अपराध और सार्वजनिक अव्यवस्था के विरूद्ध आसूचना एकत्र करने में विशेष प्रयास।
- 4. पदक प्रदान करने के लिए कोई अर्हक सेवा नहीं होगी जिसे केवल अत्यधिक असाधारण योग्यता और मैरिट की विशिष्ट आसूचना सेवा के लिए प्रदान किया जाना होता है।
- 5. पदक के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए त्रिस्तरीय जाँच प्रकिया का पालन किया जाएगा जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-
- (क) केन्द्रीय सरकार के आसूचना संगठनों के प्रमुख और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस की आसूचना विंग/ब्रांच/विशेष ब्रांच, सीपीओ, सीएपीएफ, एआर और एनएसजी के प्रमुख नामिति का चयन करने और गृह मंत्रालय को सिफारिश भेजने के लिए संगठन/राज्य के स्तर पर नामांकन की जाँच करने के लिए वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों की समिति का गठन करेंगे।
- (ख) केन्द्रीय सरकार के आसूचना संगठनों और गृह मंत्रालय के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस, सीपीओ, सीएपीएफ, एआर और एनएसजी की आसूचना विंग/ब्रांच/विशेष ब्रांच से प्राप्त सिफारिशों की जांच करने के लिए डीआईबी द्वारा गठित विशेष निदेशक, आईबी की अध्यक्षता में एक उप समिति

- (ग) गृह सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में चयन समिति जिसमें डीआईबी एक सदस्य होगा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 2-डीजीएसपी (वर्णानुक्रम में रोटेशन द्वारा) और रोटेशन द्वारा सीएपीएफ के 1 डीजी (बड़े संगठन को प्राथमिकता दी जाएगी) प्रत्येक वर्ष पदक प्रदान करने के लिए सभी नामांकनों की जांच करेंगे और सिफारिश करेंगे।
 - मंत्रालय स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिश केन्द्रीय गृह मंत्री के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।
- 7. पदक उस स्थिति में जब्त कर लिया जाएगा जब केंद्रीय गृह मंत्री की राय में इसका धारक द्रोह, कार्रवाई में कायरता अथवा ऐसे ही आचरण का दोषी हो जिससे बल को अप्रतिष्ठा मिली हो।
 - प्रत्येक विजेता को पदक के साथ केन्द्रीय गृह मंत्री के हस्ताक्षर वाला प्रमाणपत्र (स्क्रोल) प्रदान किया जाएगा।
 - 9. मंत्रालय इन नियमों को लागू करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित कर सकता है।
- 10. पदक प्रदान करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या शिकायत के मामले में केन्द्रीय गृह मंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
- 11. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्रीय आसूचना संगठन/ इकाई द्वारा इस उद्देश्य के लिए यथानिर्धारित किसी उचित तिथि को "असाधारण आसूचना कुशलता पदक" की घोषणा के लिए संस्तुतियाँ निर्धारित तारीख से कम से कम तीन माह पहले गृह मंत्रालय में पहुंच जाएं।

पी.के. श्रीवास्तव अपर सचिव

फा. सं. 11024/05/2018-पीएमए– ऑपरेशनों में उत्कृष्ट सेवा के सम्मानस्वरूप प्रदान किए जाने वाले "केन्द्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक" से संबंधित संविधियों की "अष्ठम" संविधि के अनुसार इन पदकों को शासित करने वाले निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं:

केन्द्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक

- 1. पुलिस कर्मियों को विद्रोह-रोधी/राष्ट्र-रोधी तत्वों से मुकावला करने के लिए तथा आंतरिक/सीमावर्ती सुरक्षा के लिए विदेश मंत्रालय में उनकी प्रतिनियुक्ति के दौरान भारत में या भारत से बाहर प्रमुख बचाव अभियानों सहित विशिष्ट ऑपरेशनों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों(सीपीओ)/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और सुरक्षा संगठनों के सदस्यों के रूप में भाग लेने या किसी प्रकार से सहायता प्रदान करने के आधार पर पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिशें की जाएंगी।
- 2. सभी सिफारिशों में सिफारिश किए गए व्यक्ति का नाम तथा रैंक, पुलिस बल का नाम या सीपीओ/सीएपीएफ तथा सुरक्षा संगठनों की यूनिट जिसका वह सदस्य है या था और उस विशिष्ट ऑपरेशन के ब्यौरे जिसके लिए पदक प्रदान करने की सिफारिश की गई है, का उल्लेख होगा।
- 3. एक वर्ष में विशिष्ट ऑपरेशनों के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।
- 4. यह पदक, पदक धारक द्वारा अनिष्ठा दिखाने, कार्रवाई में कायरता दिखाने तथा या ऐसे आचरण कादोषी पाए जाने पर जिससे केंद्रीय गृह मंत्री की राय में बल की प्रतिष्ठा खराब हुई हो, जब्त किया जा सकेगा।
- 5. केन्द्रीय गृहमंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक की घोषणा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/ सुरक्षा संगठनों के परामर्श से गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी उपयुक्त तारीख पर की जा सकेगी। पदक के लिए सिफारिश गृह मंत्रालय को विशिष्ट अभियान के तीन माह की अविध के भीतर पहुँच जानी चाहिए।
- 6. उम्मीदवारों का चयन करने के लिए दो स्तरीय जाँच प्रक्रिया का नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पालन किया जाएगा:-
 - (क) संगठन के प्रमुख नामितिओं का चयन करने और गृह मंत्रालय को सिफारिश भेजने के लिए संगठन/राज्य के स्तर पर नामांकनों की जाँच करने के लिए वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों की समिति का गठन करेंगे।

- (ख) गृह मंत्रालय में एक सिमिति सभी नामांकनों की जाँच करेगी तथा पदक के लिए सिफारिश करेगी। गृह सिचव की अध्यक्षता वाली चयन सिमिति में आसूचना ब्यूरो के निदेशक सदस्य होंगे तथा राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के 2 डीजीपी वर्णानुक्रम के अनुसार रोटेशन द्वारा और सीएपीएफ के 1 डीजी रोटेशन द्वारा (बड़े संगठन को प्राथमिकता दी जाएगी) प्रति वर्ष सिमिति में सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
- (ग) केन्द्रीय गृह मंत्री गृह मंत्रालय की चयन समिति द्वारा संस्तुत पदक विजेताओं की अंतिम सूची का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- प्रत्येक विजेता को पदक के साथ केन्द्रीय गृह मंत्री के हस्ताक्षर वाला प्रमाणपत्र (स्क्रोल) प्रदान किया जाएगा।
- 8. इन नियमों को लागू करने के लिए मंत्रालय मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करेगा।
- 9. पदक प्रदान करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या शिकायत के मामले में केन्द्रीय गृह मंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

पी.के. श्रीवास्तव अपर सचिव

फा.सं. 11024/05/2018-पीएमए.—गृह मंत्री सम्पूर्ण भारत संघ में विशेष अभियानों में उत्कृष्टता के सम्मानस्वरूप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सुरक्षा संगठनों के सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले "केन्द्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक" प्रारंभ करने, और उसका विधान करने एवं उन्हें शासित करने वाली निम्नलिखित संविधियों की स्थापना करने की घोषणा करते हैं जो उनकी अधिसूचना की उनकी तारीख से प्रभावी मानी जाएंगी।

केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक

प्रथमतया: पुरस्कार एक पदक के रूप में होगा तथा इसे ''केन्द्रीय गृहमंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक'' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पदक कहा गया है) का नाम दिया जाएगा।

द्वितीय: पदक गोल आकार का होगा तथा कप्रो-निकल का बना होगा। इसका व्यास वज़न "पुलिस (विशेष ड्यूटी) पदक" के समान 1 3/8 इंच होगा। पदक के अग्र भाग पर बीचों बीच 'सरदार पटेल के चेहरे' की आकृति होगी। इसके नीचे 'जय भारत' तथा ऊपरी किनारे पर "राष्ट्र प्रहरी" (हिन्दी में) और निचले किनारे पर "Sentinel of the Nation" (अंग्रेजी में) उत्कीर्ण होगा। हिन्दी तथा अंग्रेजी उत्कीर्ण शब्दों को दोनों ओर बनी एक छोटे से सितारे की आकृति पृथक करेगी। पदक के पृष्ठ भाग पर बीचों-बीच राज्य संप्रतीक उत्कीर्ण होगा। पदक के ऊपरी एवं निचले किनारे पर क्रमश: "केन्द्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक' (हिन्दी में) तथा "Union Home Minister's Special Operation Medal" (अंग्रेजी में) लिखा होगा। "सत्यमेव जयते" (हिन्दी में) राज्य संप्रतीक के नीचे लिखा होगा। राज्य संप्रतीक तथा इसके चारों ओर लिखे शब्दों के चारों ओर फूलों की माला का छल्ला बना होगा।

तृतीय: यह पदक राज्य/संघराज्य क्षेत्र, क्षेत्र या देश की सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव या असर डालने वाले महत्त्वपूर्ण प्रकृति या स्तर के अभियानों के सफल संचालन पर या बड़े बचाव अभियानों में भाग लेने के लिए रैंक/श्रेणी/सेवा की ओर ध्यान दिए बिना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा सुरक्षा संगठनों के केवल उन्हीं कार्मिकों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने अपनी तैनाती के दौरान भारत के भीतर अथवा देश के बाहर विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर विद्रोह-रोधी/राष्ट्र-रोधी तत्वों से मुकाबला करने, आंतरिक/सीमावर्ती सुरक्षा इत्यादि से जुड़े ऐसे किसी विशिष्ट ऑपरेशन में भाग लिया है या किसी तरह से सहायता की है।

चतुर्थः पदक प्राप्तकर्ता पुलिस कार्मिकों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे किंतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आसूचना संगठनों/इकाइयों के सदस्यों के नाम इसमें शामिल नहीं होंगे तथा ऐसे व्यक्तियों के नामों के एक रजिस्टर का गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित प्राधिकारी द्वारा रखरखाव किया जाएगा।

पंचम: प्रत्येक पदक 1 3/8 इंच चौड़े एक रिबन जो आधा पीला तथा आधा सिल्वर सफेद रंग का होगा तथा इन दो रंगों को 1/8 इंच चौड़ी एक खड़ी नीली रेखा पृथक करेगी, से सीने की बाईं ओर लटकाया जाएगा। छठा: पहली बार पदक के लिए अई हुए व्यक्ति को पदक प्रदान किया जाएगा तथा उसके उपरांत पदक के लिए अईता प्राप्त करने पर पदक के ऊपरएक बार (Bar) प्रदान किया जाएगा।

सप्तम: केन्द्रीय गृह मंत्री किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए उपर्युक्त पदक को निरस्त करने और रद्द करने के लिए सक्षम होंगे और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा तथा पदक को जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, केन्द्रीय गृह मंत्री को किसी व्यक्ति से इस प्रकार जब्त किए गए पदक को पुन: बहाल करने का अधिकार होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, जिसे यह पदक प्रदान किया गया है को इसे प्राप्त करने से पूर्व एक अनुबंध करना होगा कि यदि उसका नाम उपर्युक्त ढंग से हटा दिया जाता है तो वह पदक लौटा देगा। प्रत्येक मामले में पदक को रद्द किए जाने अथवा उसे बहाल किए जाने की सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

अष्ठम: इन संविधियों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को होगा।

पी.के. श्रीवास्तव अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, 23rd July, 2018

No. 11024/02/2018-PMA – The Union Home Minister is pleased to institute an award for permanent police personnel and other permanent support staff working in Central Armed Police Forces, State/UT Police Forces, Central Police Organisations, Assam Rifles, National Security Guards, Intelligence organizations of the Central Government/State/UT/CAPF, Home Guards and any other armed Police force of the Union throughout the Indian Union in consideration of the long service medal based on the length of service after 15 / 25 years of service to be designated "UTKRISHT SEVA PADAK" and to make, ordain and establish the following statutes governing them which shall be deemed to have effect from the date of their notification.

UTKRISHT SEVA PADAK

Firstly – The award shall be in the form of a Medal styled and designated as the "UTKRISHT SEVA PADAK" (hereinafter referred to as Medal).

Secondly - The Medal shall be circular in shape, made of cupro-nickel and will be of silver colour, one and three eighth inches in diameter, and shall have embossed on the obverse the design of "OUTLINE OF MAP OF INDIA" in the Centre and shall have engraved "UTKRISHT SEVA PADAK" in Hindi on the upper edge and the words "UTKRISHT SEVA PADAK" in English inscribed on the lower edge thereof. On the reverse, it shall have embossed the State Emblem in the Centre and words "SATYAMAVE JAYATE" in Hindi shall be embossed below the State Emblem. The words "BHARAT SARKAR" in Hindi followed by "Government of India" in English will be embossed below "SATYAMAVE JAYATE".

Thirdly – The Medal shall only be awarded to those who have either performed their duties with conspicuous devotion, skill and courage as members of police forces within the territory of India, continuously for 15 Years.

Fourthly – The names of those to whom this Medal may be awarded may be kept in the Register of such names which will be maintained by concerned States/UT/s/CAPFs/CPOs.

Fifthly – Each Medal shall be suspended from the left breast and the riband, of an inch and three eighth in width, shall, in the case of UTKRISHT SEVA PADAK, be half blue and half red of the standard size.

Sixthly – It shall be competent for the Union Home Minister to cancel and annul the award to any person of the above decoration and that there upon his name in the Register shall be erased. It shall, however, be competent for Union Home Minister to restore any decoration, which may have been so forfeited. Every person to whom the said decoration is awarded shall, before receiving the same, enter into an agreement, to return the medal if his name is erased as aforesaid. Notice of cancellation or restoration in every case shall be entered in the Register.

Seventhly - It shall be competent for Ministry of Home Affairs to make rules to carry out the purpose of these Statutes.

ATI UTKRISHT SEVA PADAK

Firstly – The award shall be in the form of a Medal and styled and designated the "ATI UTKRISHT SEVA PADAK" (hereinafter referred to as the Medal).

Secondly - The Medal shall be circular in shape, made of cupro-nickel and will be of golden colour, one and three eighth inches in diameter, and shall have embossed on the obverse the design of "OUTLINE OF MAP OF INDIA" in the Centre and shall have engraved "ATI UTKRISHT SEVA PADAK" in Hindi on the upper edge and the words "ATI UTKRISHT SEVA PADAK" in English inscribed on the lower edge thereof. On the reverse, it shall have embossed the State Emblem in the Centre and words "SATYAMAVE JAYATE" in Hindi shall be embossed below the State Emblem. The words "BHARAT SARKAR" in Hindi followed by "Government of India" in English will be embossed below "SATYAMAVE JAYATE".

Thirdly – The Medal shall only be awarded to those who have either performed their duties with conspicuous devotion, skill and courage as members of police forces within the territory of India, for continuously for 25 Years.

Fourthly – The names of those to whom this Medal may be awarded may be kept in the Register of such names which will maintained by concerned States/UT/s/CAPFs/CPOs.

Fifthly – Each Medal shall be suspended from the left breast and the riband, of an inch and three eighth in width, shall, in the case of ATI UTKRISHT SEVA PADAK, be one third blue, one third yellow and one third Red.

Sixthly – It shall be competent for the Union Home Minister to cancel and annul the award to any person of the above decoration and that there upon his name in the Register shall be erased. It shall, however, be competent for Union Home Minister to restore any decoration, which may have been so forfeited. Every person to whom the said decoration is

awarded shall, before receiving the same, enter into an agreement, to return the medal if his name is erased as aforesaid. Notice of cancellation or restoration in every case shall be entered in the Register.

Seventhly - It shall be competent for Ministry of Home Affairs to make rules to carry out the purpose of these Statutes.

P K SRIVASTAVA Addl. Secretary

No.11024/02/2018-PMA - In accordance with the Statute 'Seventhly' of the statutes relating to the award of UTKRISHT SEVA PADAK and ATI UTKRISHT SEVA PADAK, the following Rules governing the award of the Medal are notified which shall be deemed to have effect from the date of their notification:-

UTKRISHT SEVA PADAK

- Recommendations for award on the ground of continuous service shall be made as soon as possible after the completion of 15 years of continuous service.
- All the recommendations shall state the name and rank of the person recommended, the name of the Police Force, or the Unit of the Central Police/Security/Intelligence Organizations of which he is or was a member and particulars of the service for which the grant of the medal is recommended.
- 3. The number of medals awarded for UTKRISHT SEVA PADAK should not be more than 1% of the sanctioned strength of the Police Force of the State/UT/CAPF/ CPO/AR/NSG and Intelligence organization of Central Government.
 - 4. The medal shall be awarded for:
 - (i) 15 years of continuous service; and
 - (ii) A special distinguished record in police service or in the Units of Central Police / Security Organization/Intelligence Organization.
- 5. The Heads of Police Departments in the States/Union Terrorities that is, Director General of Police and Heads that is Director Generals/Director of the Central Armed Police Forces and Central Police Organisations/Director of Intelligence Agencies are delegated the powers to award Utkrisht Seva Padak to their eligible police personnel.
- 6. The Medal is liable to be forfeited when the holder is guilty of disloyalty or such conduct as in the opinion of the Government brings the force into disrepute.
- 7. The medal will be announced on any suitable date as fixed for the purpose by the State/UT/CAPF/Security organization.
 - 8. The Ministry may lay down standard operating procedure (SOP) for giving effect to these Rules.
- 9. In case of any dispute or complaint arising in connection with the award of the Medal, the decision of the Union Home Minister shall be final.
- 10. The quota of the medal and Selection procedure for awarding the medal may be prescribed in the Standard Operating Procedure (SOPs) made under these Rules.

ATI UTKRISHT SEVA PADAK

- 1. Recommendations for award on the ground of continuous service shall be made as soon as possible after the completion of 25 years of continuous service.
- 2. All the recommendations shall state the name and rank of the person recommended, the name of the Police Force, or the Unit of the Central Police/Security Organizations of which he is or was a member and particulars of the service for which the grant of the medal is recommended.
- 3. The number of medals awarded for ATI UTKRISHT SEVA PADAK should not be more than 0.5% of the sanctioned strength of the Police Force of the State/UT/CAPF/CPO/AR/NSG and Intelligence organization of Central Government.

- 4. The medal shall be awarded for
- (i) 25 years of continuous service; and
- (ii) A special distinguished record in police service or in the Units of Central Police / Security Organization/ Intelligence Organization.
- 5. The Heads of Police Departments in the States/Union Terrorities that is, Director General of Police and Heads that is Director Generals/Director of the Central Armed Police Forces and Central Police Organisations/Director of Intelligence organisation are delegated the powers to award Ati Utkrisht Seva Padak to their eligible police personnel.
- 6. The Medal is liable to be forfeited when the holder is guilty of disloyalty or such conduct as in the opinion of the Government brings the force into disrepute.
- 7. The medal will be announced on any suitable date as fixed for the purpose by the State/UT/CAPF/Security organization.
 - 8. The Ministry may lay down standard operating procedure (SOP) for giving effect to these Rules.
- 9. In case of any dispute or complaint arising in connection with the award of the Medal, the decision of the Union Home Minister shall be final.
- 10. The quota of the medal and Selection procedure for awarding the medal may be prescribed in the Standard Operating Procedure (SOPs) made under these Rules.

P K SRIVASTAVA Addl. Secretary

F.No. 23011/3/2018-PMA - The Union Home Minister is pleased to institute an award for members of Police personnel in Central Armed Police Forces(CAPFs)/Central Police Organizations(CPOs), State/UT Police forces and Security Organisations in consideration for continuous two years of service in the Jammu and Kashmir(J&K)/Left Wing Extremism (LWE)/North East(NE) Region with outstanding devotion to duty to be designated "POLICE ANTRIK SURAKSHA SEVA PADAK – J&K STATE/ LWE REGION / NE REGION" and to make, ordain and establish the following Statutes governing them which shall be deemed to take effect from the date of their notification.

POLICE ANTRIK SURAKSHA SEVA PADAK – J&K STATE /LWE REGION/ NE REGION

Firstly – The award shall be in the form of a Medal and styled and designated the "POLICE ANTRIK SURAKSHA SEVA PADAK–J&K STATE/ LWE REGION/NE REGION (hereinafter referred to as the Medal).

Secondly - The Medal shall be circular in shape, made of cupro-nickel and will be of golden colour, one and three eighth inches in diameter, and shall have embossed on the obverse the design of "OUTLINE OF MAP OF INDIA" in the Centre and shall have engraved "पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक" in Hindi on the left edge and the words "POLICE ANTRIK SURAKSHA SEVA PADAK" in English inscribed on the right edge thereof. The bottom of the medal shall have embossed the "J&K STATE / LWE REGION/NE REGION" as the case may be. On the reverse, it shall have embossed the State Emblem in the centre and the words ''सत्यमेव जयते ''in Hindi shall be embossed below the State Emblem. The words 'भारत सरकार ''in Hindi followed by "Government of India" in English will be embossed below "SATYAMAVE JAYATE". On the rim, the name of the person to whom the medal has been awarded, shall be inscribed.

Thirdly – The medal shall be awarded to those members of a recognized Police Force of State/UT and Central Armed Police Forces/Central Police Organizations and any other Armed Police Force of the Union who have performed/perform service in such conditions and for such period, as may be prescribed by Government of India for the award.

Fourthly – The names of those to whom this medal be awarded, a Register of such names may be kept in the Ministry of Home Affairs by such authority as the Ministry may direct.

Fifthly – Each Medal shall be suspended from the left breast and the riband, of an inch and three eighth in width, shall, in the case of POLICE ANTRIK SURAKSHA SEVA PADAK – J&K STATE/ LWE REGION / NE REGION be of the following colours and dimensions -

- a. J&K State -Left side blue strip of 8mm followed by white strip of 5.45mm followed by red strip of 8mm followed by white strip 5.45mm followed by blue strip of 8mm on the right edge of the riband.
- b. LWE Region -Left side blue strip of 8mm followed by green strip of 5.45mm followed by red strip of 8mm followed by green strip 5.45mm followed by blue strip of 8mm on the right edge of the riband.
- c. NE Region -Left side blue strip of 8mm followed by Kesariya(Saffron) strip of 5.45mm followed by red strip of 8mm followed by Kesariya (Saffron) strip 5.45mm followed by blue strip of 8mm on the right edge of the riband.

Sixthly – It shall be competent for the Union Home Minister to cancel and annul the award to any person of the above Decoration and that there upon his name in the Register shall be erased. It shall, however, be competent for the Union Home Minister to restore any Decoration, which may have been so forfeited. Every person to whom the said decoration is awarded shall, before receiving the same, enter into an agreement, to return the medal if his name is erased as aforesaid. Notice of cancellation or restoration in every case shall be entered in the Register.

Seventhly - It shall be competent for the Union Home Minister to make rules to carry out the purpose of these statutes.

P K SRIVASTAVA Addl. Secretary

F.No. 23011/3/2018-PMA – In accordance with statutes "Seventhly" relating the award of the POLICE ANTRIK SURAKSHA SEVA PADAK FOR J&K STATE/LWE REGION/NE REGION, the following Rules governing the award of the medal are notified:

- 1. Recommendations for award on the ground of continuous service shall be made as soon as possible after the completion of the given tenure (minimum 2 years) of continuous service in J&K STATE/LWE REGION/NE REGION as notified by competent authority.
- All the recommendations shall state the name and rank of the person recommended, the name of the Police
 Force, or the Unit of the Central Police/Security Organizations of which he is or was a member and particulars of the service
 for which the grant of the medal is recommended.
- 3. The number of medals awarded for POLICE ANTRIK SURAKSHA SEVA PADAK FOR J&K STATE /LWE REGION/NE REGION will have no limit in any one year.
- 4. The medal shall be awarded for 2 years of continuous service in J&K State/ LWE region / NE region as notified by competent authority. LWE region are as notified by Central government from time to time. A bar will be added to the medal for subsequent 2 years continuous service in that Region.
- 5. The medal will be announced on any suitable date as fixed for the purpose by the State/UT/CAPF/Security organisation.
- 6. The Heads of Police Departments in the States/UTs, that is Director General of Police (DGP) and Heads that is DG of the CAPFs/CPOs will be empowered to award the medals.
- 7. The Medal is liable to be forfeited when the holder is guilty of disloyalty or such conduct as in the opinion of the Union Home Minister, brings the force into disrepute.
 - 8. Selection procedure for the above Medal will be followed as mentioned in standard operation procedure.
 - 9. The Ministry may lay down standard operating procedure (SOP) for giving effect to these Rules.

P K SRIVASTAVA Addl. Secretary No.11024/04/2018-PMA - The Union Home Minister is pleased to institute "Asadharan Aasuchana Kushalata Padak" to be conferred on members of intelligence organizations of Central Government, Intelligence wing/Branch/Special Branch of the State/UT Police Forces, Central Police Organizations (CPOs), Central Armed Police Forces (CAPFs), National Security Guard(NSG), Assam Rifles(AR) in consideration of the exceptional performance, indomitable & daring intelligence service and to make ordain and establish the following statutes governing them, which shall be deemed to have effect from the date of their notification:-

ASADHARAN AASUCHANA KUSHALATA PADAK

Firstly: The award shall be in the form of a Medal and styled and designated the "Asadharan Aasuchana Kushalata Padak" (hereinafter referred to as the Medal).

Secondly: The Medal shall be circular in shape, made of silver gold gilt, one and three eighth inches in diameter and shall have embossed on the obverse the symbol of "Kautilya" in the Centre with the "आस्चना लभते सुरक्षा" inscribed below and shall have engraved on the upper edge, the words "आस्चना सेवा "and the words "Aasuchana Sewa" inscribed on the lower edge. Hindi and English inscription shall be separated by a small Star appearing on either side. On the reverse, it shall have embossed the State Emblem in the centre and words "असाधारण आस्चना कुशलता पदक" and "Asadharan Aasuchana Kushalata Padak" on the upper and lower edge respectively. The words "सत्यमेव जयते" (in Hindi) shall be embossed below the State Emblem. The State Emblem and the writings around it shall be encircled by a wreath. On the rim, the name of the person to whom the Medal has been awarded, shall be inscribed.

Thirdly: The Medal shall only be awarded to the Members of Intelligence organizations notified by Central Government or Members of Intelligence Branch/Special Branches of State/UT Police and Intelligence Wings of CPOs, CAPF, AR, NSG engaged in intelligence gathering for combating terrorism/militancy/insurgency etc. and performed acts of exceptional courage and skill in intelligence gathering, leading to significant breakthrough in unearthing of modules of espionage/insurgency/terrorism/ militancy/organised crimes or in arrest/capture/neutralization of members of such outfits.

Fourthly: The name of those to whom this Medal is awarded may not be published in the Gazette of India for the reason of security of the work and need to safeguard the identity of the person. However, a Register of such names may be kept by such authority as directed by MHA.

Fifthly: Each Medal shall be suspended from the left breast and the riband, of one and three eighth inches in width, shall be half blue and silver white, the two colours being separated by a vertical red line 1/8" in width.

Sixthly: Any act of Intelligence, which is worthy of recognition by the award of "Asadharan Aasuchana Kushalata Padak" but is performed by one upon whom the Decoration has already been conferred, may be recorded by a Bar attached to the riband by which the Medal is suspended. For every such additional act an additional Bar may be added and for each Bar awarded a small silver rose with gold gilt shall be added to the riband, when worn alone.

Seventhly: It shall be competent for the Union Home Minister to cancel and annul the award to any person of the above decoration and that thereupon his name in the Register shall be deleted. It shall, however, be competent for the Union Home Minister to restore any Decoration, which may have been so forfeited. Every person to whom the said decoration is awarded shall, before receiving the same, enter into an agreement, to return the Medal if, his name is deleted as aforesaid. Notice of cancellation or restoration should not be published in the Gazette of India. However, entries of such effect should be made in the Register.

Eighthly: It shall be competent for Ministry of Home Affairs to make rules to carry out the purpose of these statutes.

P K SRIVASTAVA
Addl. Secretary

No.11024/04/2018-PMA - In accordance with the Statute 'eighthly' of the statutes relating to the award of the "Asadharan Aasuchana Kushalata Padak" the following rules governing them are notified which shall be deemed to have effect from the date of their notification:-

1. Recommendations for award on the ground of performed acts of exceptional courage and skill in intelligence service combating terrorism/militancy/insurgency, etc. leading either to significant breakthrough in unearthing of

modules of espionage/terrorism/ militancy/ organized crimes or in arrest/capture of members of such outfits, shall be made as soon as possible after the occasion of which the exceptional courage and skill was shown.

- 2. All the recommendations shall state the name and rank of the person recommended, the name of the Intelligence organizations of Central Government and Intelligence Wing/Branch/Special Branch of State/UT Police, CPOs, CAPF, AR and NSG of which he/she is or was a member and particulars of the intelligence service for which the grant of the Medal is recommended.
- The Medal shall be awarded for:
 - (i) Performed acts of skill and exceptional courage in intelligence gathering for combating terrorism/militancy/insurgency etc., leading either to significant breakthrough in unearthing of modules of espionage/ terrorism/militancy/organized crimes or in arrest/capture of members of such outfits.
 - (ii) A special distinguished record of intelligence service in organizations of Central Government and Intelligence Department/Wing/Branch/Special Branch of State/UT Police, CPOs, CAPF, AR, NSG.
 - (iii) Special efforts in intelligence gathering against serious or wide spread out breaks of crime or public disorder.
- 4. There shall be no qualifying service period for the award, which is to be given only for distinguished intelligence service of very exceptional ability and merit.
- 5. A three tier screening procedure will be followed for selection of the candidates for the Medal, as detailed below:
 - a) Head of the Intelligence organizations of Central Government and Intelligence Wing/Branch/Special Branch of State/UT Police, CPOs, CAPF, AR and NSG will constitute a committee of senior level officers for screening of nomination at the organization/state level to select the nominees and send the recommendation to MHA.
 - b) A Sub Committee headed by Special Director, IB constituted by DIB to scrutinize the recommendations received from Intelligence organizations of Central Government and Intelligence Wing/Branch/ Special Branch of State/UT Police, CPOs, CAPF, AR and NSG through MHA.
 - c) A Selection Committee in MHA headed by Home Secretary wherein DIB would be a member and 2 DGsP of State/UT (by rotation in alphabetical order) and 1 DG of a CAPF by rotation (the larger Organisation would be given preference) would screen all the nominations and recommend for award of the Medal every year.
 - 6. The recommendation made by Ministry level Committee will be submitted to the Union Home Minister for his consideration and approval.
 - 7. The Medal is liable to be forfeited when the holder is guilty of disloyalty, cowardice in action or such conduct as in the opinion of the Union Home Minister, brings the force into disrepute.
 - 8. A certificate (Scroll) signed by the Union Home Minister will be awarded to each winner alongwith the Medal.
 - 9. The Ministry may lay down standard operating procedure (SOP) for giving effect to these Rules.
 - 10. In case of any dispute or complaint arising in connection with the award of the Medal, the decision of the Union Home Minister shall be final.
 - 11. Recommendations for the announcement of the "Asadharan Aasuchana Kushalata Padak" on any suitable date as may be fixed for the purpose by the State/UT/Central Intelligence organizations/entity. The recommendation should reach MHA at least three months before the designated date.

P K SRIVASTAVA

Addl. Secretary

F.No.11024/05/2018-PMA - In accordance with the Statute 'eighthly' of the statutes relating to the award of the "Union Home Minister's Special Operation Medal" for excellence in operations the following rules governing them are notified:-

- 1. Recommendations for award to Police personnel will be made on the ground of either participation in special operations including major rescue operations or in any way assisting in special operations as members of State/UT Police Forces, Central Police Organisations (CPOs)/Central Armed Police Forces (CAPFs) and Security organisations within the territory of India or outside the country during their posting on deputation to MEA for fighting anti- insurgency/anti-national elements, internal/border security, etc.
- 2. All the recommendations shall state the name and rank of the person recommended, the name of the Police Force, or the Unit of the CPOs/CAPFs and Security organisations Operation for which the grant of the Medal is recommended.
- 3. There should be no limit on the number of Medals to be awarded for special operations in a year.
- 4. The medal is liable to be forfeited when the holder is guilty of disloyalty, cowardice in action or such conduct as in the opinion of the Union Home Minister, brings the force into disrepute.
- 5. The announcement of the Union Home Minister's Special Operation Medal may be made on any suitable date as decided by MHA in consultation with State/UT/CAPF/Security organizations. The recommendation for the award should reach MHA within three months of the special operation.
- 6. A two tier screening procedure will be followed for selection of candidates as detailed below:
- a) Head of the organisation will constitute a committee of senior level officers for screening of nominations at the organization/State level to select the nominees and send the recommendation to MHA.
- b) A Committee in MHA will screen all the nominations and recommend for award. Director, IB would be a member of the selection committee under the Chairmanship of Home Secretary, and 2 DsGP of States/UTs by rotation in alphabetical order and 1 DG of a CAPF by rotation (the larger organisation would be given preference) in the committee every year.
- c) The Union Home Minister will be the Competent authority to approve the final list of awardee recommended by the Selection Committee of MHA.
- 7. A certificate (Scroll) signed by the Union Home Minister will be awarded to each winner alongwith the Medal.
- 8. The Ministry may lay down standard operating procedure (SOP) for giving effect to these Rules.
- 9. In case of any dispute or complaint arising in connection with the award of the Medal, the decision of the Union Home Minister shall be final.

P K SRIVASTAVA Addl. Secretary

F.No.11024/05/2018-PMA - The Home Minister is pleased to institute the "Union Home Minister's Special Operation Medal" to be conferred on members of State/UT Police Forces, Central Police Organisations (CPOs)/Central Armed Police Forces (CAPFs) and Security organisations throughout the Indian Union in consideration for excellence in special operations and to make, ordain and establish the following statutes governing them, which shall be deemed to have effect from the date of their notification.

UNION HOME MINISTER'S SPECIAL OPERATION MEDAL

Firstly: The award shall be in the form of a medal and styled and designated as the "Union Home Minister's Special Operation Medal" (hereinafter referred to as the Medal).

Secondly: The Medal shall be circular in shape, made of cupro-nickel, one and three eighth inches in diameter weight shall be same as "Police (Special Duty) Medal" and shall have embossed on the obverse the symbol of "face of Sardar Patel" in the Centre with the words "जय भारत" inscribed below and shall have engraved on the upper edge, the words "राष्ट्र प्रही" (in Hindi) and the words "Sentinel of the Nation" (in English) inscribed on the lower edge. Hindi and English inscription shall be separated by a small Star appearing on either side. On the reverse, it shall have embossed the State Emblem in the centre and words "केन्द्रीय गृहमंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक" (in Hindi) and "Union Home Minister's Special Operation Medal"(in English) on the upper and lower edge respectively. The words "सत्यमेव जयते" (In Hindi) shall be embossed below the State Emblem. The State Emblem and the writings around it, shall be encircled by a wreath.

Thirdly: The Medal shall only be awarded on successful conduct of operations of a significant nature or scale, having direct bearing or impact on security of State/UT, region or country, or for participation in major rescue operations, to personnel, irrespective of ranks/categories/service, who have either participated in such special operation or in any way assisted in a special operation as members of State/UT Police Forces, CPOs/CAPF and Security organisations within the territory of India or outside the country during their posting on deputation to Ministry of External Affairs for fighting anti-insurgency/ anti-national elements, internal/border security, etc.

Fourthly: The name of police personnel whom this medal is awarded may be published in the Gazette of India excluding the members of the intelligence organizations/units of the State/UT Police Forces/ CPOs/CAPFs and a Register of such names may be kept by such authority as the Ministry of Home Affairs may direct.

Fifthly: Each medal shall be suspended from the left breast with a riband, of an inch and three eighth in width, shall be, half yellow and half silver white, the two colours being separated by a vertical blue line 1/8" in width.

Sixthly: An individual qualifying for the medal for the first time shall be awarded the medal and on all subsequent occasions when qualifying, shall be awarded a bar to the medal.

Seventhly: It shall be competent for the Union Home Minister to cancel and annul the award to any person of the above decoration and that there upon his name in the Register shall be erased and Medal shall stand forfeited. It shall, however, be competent for the Union Home Minister to restore any Medal, which may have been so forfeited, to the person. Every person to whom the said Medal is awarded shall, before receiving the same, enter into an agreement, to return the medal if his name is erased as aforesaid. Notice of cancellation or restoration in every case shall be published in the Gazette of India.

Eighthly: It shall be competent for the Ministry of Home Affairs to make rules to carry out the purpose of these statutes.

P K SRIVASTAVA Addl. Secretary